भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3852

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति निधि

3852. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत कुल आवंटन और जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहाँ निधि पूर्ण रूप से जारी नहीं की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने निधि जारी करने में होने वाले विलंब के कारणों की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र-प्रायोजित योजना के तहत बजट आवंटन (संशोधित अनुमान) और वास्तविक व्यय (एई) का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है। विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान इस योजना के तहत जारी केंद्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2021-22 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरू होने के बाद से, छात्रवृत्ति की राशि का केंद्रीय हिस्सा सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े खाते में भेजा जा रहा है, जिससे निधि का लेन-देन आसान और तेज हो गया है। यह योजना ओपन-एंडेड है और इसकी प्रकृति मांग पर आधारित है। छात्रवृत्ति का केंद्रीय हिस्सा तभी जारी किया जाता है, जब राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपना हिस्सा जारी कर दे और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के भुगतान से जुड़े सत्यापित डेटा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड कर दे। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। इसलिए, योजना के कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों, जिनमें छात्रवृत्ति वितरण में विलंब भी शामिल है, पर संबंधित हितधारकों के साथ नियमित रूप से चर्चा की जाती है, जिनमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं।

संलग्नक-I

अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति निधि के संबंध में श्री अभिषेक बनर्जी द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3852, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

राशि (रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष		2023-24		2024-25		2025-26	
क्र.सं.	योजना का नाम	बजट आवंटन (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)	बजट आवंटन (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)	बजट आवंटन (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)
1	अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	5400	5475.42	5500	5581.52	6000	6208.08

आरई- संशोधित अनुमान

संलग्नक-II

अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति निधि के संबंध में श्री अभिषेक बनर्जी द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3852, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:

{केंद्रीय सहायता (सीए) रुपये करोड़ में}

वित्त-वर्ष		2023-24	2024-25	2025-26
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केंद्रीय सहायता	जारी की गई केंद्रीय सहायता	जारी की गई केंद्रीय सहायता
1	आंध्र प्रदेश	200.5	605.71	513.52
2	असम	13.9	8.74	18.13
3	बिहार	21.29	23.97	45.18
4	चंडीगढ़	0.59	2.7	2.87
5	छत्तीसगढ	36.14	39.96	53.6
6	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	0	0	0
7	दिल्ली	9.97	22.19	29.74
8	गोवा	0.04	0.08	0.0091
9	गुजरात	384.23	399.93	282.54
10	हरियाणा	120.58	94.89	127.91
11	हिमाचल प्रदेश	22.4	35.64	18
12	जम्मू-कश्मीर	4.68	4.09	4.19
13	झारखंड	31.39	45.04	32.96
14	कर्नाटक	421.08	422.9	334.22
15	केरल	119.17	160.7	72.6
16	मध्य प्रदेश	366.8	486.74	493.42
17	महाराष्ट्र	1652.98	929.92	1095.8
18	मणिपुर	1.94	6.76	4.36
19	मेघालय	0	0.1	0.14
20	ओडिशा	127.44	181.51	311.99
21	पुडुचेरी	2.85	3.2	2.24
22	पंजाब	284.87	410.42	525.61
23	राजस्थान	147.13	180.59	220.73
24	सिक्किम	0.52	0.44	0.54
25	तमिलनाडु	713.7	1032.09	1034.94
26	तेलंगाना	0	0	213.79
27	त्रिपुरा	40.93	51.61	54.22
28	उत्तर प्रदेश	674.83	366.02	617.64
29	उत्तराखंड	12.94	19.69	20.14
30	पश्चिम बंगाल	62.48	26.63	55.93
	कुल	**5475.43**	**5562.26**	**6186.95**
